(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative the reasons for this discriminatory treatment meted out to the Indian Shipping Companies; and

(d) the steps Government propose to take in the matter?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): (a) to (d). The question raises two distinct issues:

(i) use of port facilities; and

(ii) the right to load and unload cargo.

So far as port facilities are concerned, the position is that at Indian ports, these facilities are made available for ships of all nationalities without discrimination and there is no reason to believe that the position at Scandinavian ports is any different in this respect.

So far as the carrying of cargo is concerned, it is true that Indian ships do not visit Scandinavian ports for loading and/or unloading of cargo but this is due to an understanding among the member Lines of the India-U.K.-Continent Conference under which the Scandinavian trade on this route is catered for by Scandinavian ships only.

It is understood that the Indian Lines have started negotiations with the shipping interest concerned for a revision of this arrangement. The question of the Government of India intervening in the matter does not, therefore, arise for the present.

Carp Fishery

*521. **Shri V. P. Nayar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any plans for improving the yield of Carp Fishery; and

(b) the total yearly yield of carps in India during the last five years?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): (a) Yes, for the development of inland fisheries which relate mostly to carps.

(b) No information is available.

Shri V. P. Nayar: May I know whether the Government of India have sent any of their officers of fishery experts to any foreign countries to study in detail the working of carp culture?

Dr. P. S. Deshmukh: I would like to have notice of the question.

Shri V. P. Nayar: May I know whether there is any scheme for extensive use of artificial fish-rearing in the next Five Year Plan?

Dr. P. S. Deshmukh: Yes. It is present in the present Five Year Plan and will be incorporated in the second Five Year Plan.

Shri V. P. Nayar: May I also know whether the Government are aware that by the artificial raising of fish, especially the carp fish, fish production,—especially of the fresh water type can be increased considerably within a short time?

Dr. P. S. Deshmukh: In some instances, yes.

अतिरिक्त विभागीय डाकघर

५२२. **श्री भक्त दर्शन:** क्या संचार मंत्री १६ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस के बाद कितने अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को विभागीय डाकघर बनाया गया है ;

(ख) १५ अगस्त, १९४७ से अब तक प्रत्येक सर्किल में इस प्रकार कितने डाकघर परिवर्तित किये गये हैं ; और

(ग) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को धीरे धीरे विभागीय डाकघरों में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) १-१-५५ से ३०-६-५५ तक . . . १०७.

(ख) एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुई जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ३]

(ग) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और उप-डाकघर (Extra Departmental Branch and Sub-post office.) साधारणतया विभागीय डाकघरों में तब परिणत होते हैं जब कि कार्यभार पांच घंटे से अधिक का होता है और जब ये प्रस्ताव

विभागीय नियमों के अनुसार जांच किये जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि अब तक पिछले आठ वर्षों में केवल ६२६ डाकघरों को विभागीय बनाया गया है, जब कि मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर लगभग ३५ या ४० हजार ऐसे डाकघर हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस शिथिलता का क्या कारण है कौन सी कठिनाइयां हैं जिन की वजह से इन डाकघरों को विभागीय नहीं बनाया जा सका ?

श्री राजबहादुर : क्योंकि उनमें हमको आवश्यक ट्रैफिक नहीं प्राप्त होता है । जहां आवश्यक ट्रैफिक प्राप्त नहीं होता है और जब तक काम पांच घंटे से अधिक का नहीं हो जाता उस समय पतक यह विभागीय डाकघर नहीं बनाये जायें ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि जब कि किसी सर्किल में २७२ और किसी में १०६ डाकघरों को विभागीय बनाया गया है तो कहीं पर केवल ४ या ८ को विभागीय बनाया गया है । इस अन्तर का कारण क्या है ?

श्री राज बहादुर : यह तो मामूली हिसाब का सवाल है । अगर किसी डाकघर में पर्याप्त ट्रैफिक प्राप्त है और वहां काम पांच घंटे से अधिक का हो चुका है तो वहां हो जायेगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि जो अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में कर्मचारी हटाये जाते हैं उनको कोई नोटिस इस बात के लिये नहीं दिया जाता कि फलां तारीख से उनका काम खत्म होने वाला है और क्या इस बात का प्रयत्न किया गया है कि उन्हें अधिक से अधिक विभागीय डाकघरों में लिया जाये और उन्हें डाक विभाग का कर्मचारी माना जाये ?

श्री राजबहादुर : मेरे ख्याल से यह बात लागू नहीं होती क्योंकि किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर को विभागीय डाकघर में परिणत करने के पहले काम की जांच होती है, लिखा पढ़ी होती है, आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं, और महीनों तक कार्यवाही होती है, और जब यह कार्यवाही हो जाती है और अच्छी तरह से यह यकीन हो जाता है कि फलां अतिरिक्त विभागीय डाकघर विभागीय डाकघर में परिणत करने के योग्य है तब उन को किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में अगर योग्य व्यक्ति हो और यह मान लिया गया हो कि उनका काम सन्तोषप्रद रहा है, तो क्या उनको विभागीय डाकघरों में लेने के लिये कोई विधान बनाया गया है ?

श्री राजबहादुर : अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के जो कर्मचारी हैं उनको भत्ता मिलता है, वह पूरे सरकारी कर्मचारी नहीं होते है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं बता दूं । प्रश्न यह था कि डाकघर के विभागीय हो जाने के बाद वहीं के कर्मचारियों को विभाग में लिये जाने की कोई रियायत है या नहीं । उनको दो तीन रियायत हैं । एक रियायत तो यह है कि उनकी उम्र अगर अधिक भी हो तो भी वह उनके लिये अयोग्यता नहीं होती, इस के लिये उनको रिलक्सेशन दिया जाता है, दूसरे यह कि जब वह दूसरों के मुकाबले में कम्पिटीशन में आते हैं तो उन के अनुभव के लिये १५ मार्कस् का बोनस दिया जाता है ।

Tourism

*526. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state which of the recommendations of the Central Tourist Advisory Committee for the development of Tourist Industry in India have been accepted by Government and implemented so far?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): A statement showing the recommendations of the Central Tourist Traffic Advisory